

नागरथिनम और अन्य

बनाम

राज्य प्रतिनिधि जरिये पुलिस निरीक्षक

5 अप्रैल, 2006

[एस. बी. सिन्हा और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

दंड संहिता 1860-धाराएं 147,148,324,302,307,149 और 34- दो समूहों के बीच लड़ाई-अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के गवाहों को छुरा घोंपने की चोटें आयीं -लड़ाई में दो की मौत हो गई-अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा की याचिका उठाई गई -निचली अदालत ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 सपठित धारा 149 और अन्य आरोपों के साथ हत्या का दोषी ठहराया- अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया-की शुद्धता-आयोजित, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 34 को लागू करके एक स्पष्ट त्रुटि की अभिनिर्धारित करते हुए कि वे अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी थे-अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्ति पर लगी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहा; अभियुक्त को गिरफ्तार करने में देरी; और यह कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु का कारण बनने के अपने सामान्य इरादे के साथ आक्रामक थे-आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया

जा सकता है-इसलिए, अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

अपीलार्थी संख्या 1 गाँव के एक मंदिर की भूमि में ईंट-भट्टा चला रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष ने खंड विकास अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसने अपीलार्थी पर जुर्माना लगाया। बाद में अध्यक्ष ने मंदिर उत्सव के लिए ग्रामीणों द्वारा सौंपी गई राशि का लेखा-जोखा न रखने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक पंचायत बैठक बुलाई। अपीलार्थी संख्या 1 और उसके पुत्र अपीलार्थी संख्या 2 व 3 ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों गुटों के बीच लड़ाई हो गई। अपीलार्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा एक चाय की दुकान से लाए गए एक छोटे से चाकू से पहले मृतक को चाकू मारा। अपीलार्थी नं. 1 ने दूसरे मृतक के सिर पर भी लाठी से हमला किया। लड़ाई में अपीलार्थीगण और अभियोजन पक्षकारान के गवाहों को चोटें आयीं। अपीलार्थियों और तीन अन्य पर अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,324,302 और 307 सपठित धारा 149 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। निचली अदालत ने अपीलार्थियों को सभी अपराधों का दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने हालाँकि, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324,147,148 और 302 सपठित धारा 149 के खिलाफ आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें उनके व्यक्तिगत

कृत्यों के लिए दोषी ठहराया गया और इसलिए उन्हें भा.द.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि वे व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी हैं, भा.द.सं. की धारा 34 को लागू करना गलत था। घायल गवाहों ने यह नहीं बताया कि अपीलकर्ताओं को चाकू से चोटें कैसे लगी; प्रथम सूचना रिपोर्ट पंचायत के अध्यक्ष के कहने पर दर्ज की गई थी, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं करवाया गया; कि अपीलकर्ता संख्या 3 के खिलाफ लगाए गए आरोप चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं; और यह कि आत्मरक्षा का अनुरोध उठाया गया जिस पर विचार नहीं किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. उच्च न्यायालय ने धारा 34 भा.द.सं. को लागू करने में एक स्पष्ट त्रुटि की। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी थे, तो प्रश्न को अलग तरह से संबोधित करने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के व्यक्ति पर लगी चोटों की व्याख्या करने में

सक्षम नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी गलत अभिनिर्धारित किया है कि उक्त संबंध में सबूत का भार अपीलार्थियों पर था। [843 - बी]

1.2. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के महत्वपूर्ण अंगों पर लगी चोटों का पता लगने के बाद, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों पर चर्चा किए बिना यह माना कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त चोटें उनको कारित नहीं की गयी। यह सच है कि अभियुक्त व्यक्ति पर आयी चोटों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर नहीं है, प्रत्येक मामले में, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकृति के मामले में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आत्मरक्षा के अधिकार की याचिका को उठाया गया। यह उस संदर्भ में है कि अभियुक्त व्यक्तियों के मन में मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका का निर्धारण उन पर हमला करने में भाग लेने के लिए एकत्र हुए लोगों की संख्या, जिस तरह से उन पर हमला किया गया था, इस्तेमाल किए गए हथियारों और उनके द्वारा प्राप्त चोट के स्थान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी व्यक्ति को मौत या शारीरिक चोट की आशंका हो तो उसे पल भर में और परिस्थितियों की गर्मी में, हथियारों से लैस हमलावरों को निश्चर करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या को सुनहरे तराजू में नहीं तौला जा सकता। [843 - एफ-जी; 844-ए]

1.3. अभियोजन पक्ष के सभी गवाह एक समूह के थे। वे गाँव के एक प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे। अपीलार्थियों पर मंदिर की

संपत्ति में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष ने न केवल यह देखा कि अपीलकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए, बल्कि अपीलकर्ता संख्या 1 को खातों को प्रस्तुत नहीं करने के लिए फटकार लगाने के लिए भी पंचायत की बैठक भी बुलाई। यह विश्वास करना कठिन है कि इस तथ्य के बावजूद कि चाय की दुकान के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अपीलकर्ता एक के बाद एक दो व्यक्तियों को मार डाला बिना खुद के जीवन को संकटापित पाते हुए या धमकी मिले या उनमें से किसी द्वारा या किसी भी तरह से उकसाये बिना। यह तथ्य कि वे सशस्त्र नहीं थे, विवादित नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि वे अपने साथ लाठी रखे हुए थे। यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 2 ने अचानक से एक छोटा चाकू पी. डब्ल्यू. 4 की दुकान से उठाया। अदालत में चाकू की पहचान नहीं हो पाई है। अपीलार्थी संख्या 3 के विरुद्ध लगाए गए आरोप कि उसने दूसरे मृतक पर छड़ी से हमला किया था, चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। अपीलार्थियों में से किसी को भी उक्त स्पष्ट कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। अपीलार्थियों के पास इस तरह की बांस की छड़ें कैसे और किस तरह से थीं, इसका खुलासा नहीं किया गया था। सभी अपीलार्थियों को कम से कम तीन चोटें आई हैं। जबकि कहा जाता है कि केवल एक चोट अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा पहले मृतक के पेट में चाकू से एवं अन्य सभी चोटें कठोर और कुंद वस्तु के कारण कारित हुई हैं, जबकि अपीलार्थियों को चाकू और बोतलों से चोटें लगी हैं। [846-ए-जी]

1.5. जाँच अधिकारी ने यह नहीं बताया कि अपीलार्थी को घटना की तारीख को ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी में देरी के कारण का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

1.6. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अभियोजन पक्ष के लिए अनिवार्य था कि अपीलार्थियों को लगी चोटों की व्याख्या करे। अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि अपीलार्थी हमलावर थे। अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों द्वारा उन व्यक्तियों की मृत्यु करने का कारण बनने का कोई सामान्य इरादा स्थापित नहीं कर पाया। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया है, पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने घटना के एक हिस्से को दबाने के सभी प्रयास किए थे। इस प्रकार, घटना की उत्पत्ति साबित नहीं हुई है। अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियों की समग्रता अपीलार्थियों के अपराध की ओर इशारा नहीं करती है। इसलिए वे बरी होने के हकदार हैं। [847-बी-एफ;848-एफ-जी]

बिश्रा @भीस्वादेह महतो और अन्य वी. पश्चिम बंगाल राज्य, (2003) 9 [2006] 3 एस. सी. आर. स्केल 204; जलाराम बनाम राजस्थान राज्य,

(2005) 9 स्केल 505 और मुन्ना चंदा बनाम असम राज्य, जे. टी. (2006) 3  
एस. सी. 366, संदर्भित।

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 397/2005

मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील सं 234/1996 के निर्णय दिनांक  
23.6.2004 से।

अपीलार्थियों की ओर से आर. सुंदरवरदन, वी. जी. प्रगसम और जी. एन.  
रेड्डी।

सुब्रमण्यम प्रसाद, अभय कुमार, गोपाल कृष्णन और जय किशोर सिंह  
उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया था।

मैयूर चेंगलेपेट जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1  
का एक ईट-भट्टा था, जिसे एक गांव के मंदिर से संबंधित भूमि पर चलाया जा रहा  
था, जिसे एक गंगाअम्मन मंदिर के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण इसका विरोध कर  
रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत राजेंद्रन से की, जो पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष थे। बदले  
में, उन्होंने खंड विकास अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने उक्त  
अपीलकर्ता पर 25,000/- रु. रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त अपीलकर्ता ने उक्त  
जुर्माने की राशि नहीं चुकायी। पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष ने इसके लिए एक मुकदमा

दायर किया, जो डिक्री किया गया। इसके अलावा, कथित तौर पर रुपये 12,000/- मंदिर उत्सव के लिए ग्रामीणों द्वारा एकत्र किए गए और प्रथम अपीलकर्ता को सौंपे गए, जिसका हिसाब उसके द्वारा नहीं दिया गया था। राजेंद्रन ने प्रथम अपीलकर्ता के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 प्रथम अपीलकर्ता के पुत्र हैं।

उन्होंने, कथित तौर पर, बैठक के आयोजन से अपमानित और व्यथित महसूस करते हुए, दिनांक 22.7.1990 को लगभग 2.00 बजे खुद को एक गैरकानूनी सभा में शामिल कर लिया और इस सभा को बुलाने के लिए उक्त राजेंद्रन के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कुछ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर उक्त राजेंद्रन के भतीजे शनमुगम (प्रथम मृतक) ने उनसे ऐसा न करने और अपनी शिकायत, यदि कोई हो, बैठक में ही व्यक्त करने के लिए कहा, जो उस दिन शाम 5.00 बजे होनी थी। उस पर, पहले अपीलकर्ता ने कथित तौर पर पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए और दूसरों से उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कहा, जिसके बाद अपीलकर्ता नंबर 2, शंकर चाय की दुकान से एक छोटा चाकू लाया और उस (प्रथम मृतक) के पेट पर वार कर दिया। कृष्णन (दूसरा मृतक), अपने कृषि खेत से आ रहा था। उक्त घटना को देखकर वह रो पड़ा। उसने प्रथम मृतक को उठाने की कोशिश की, जिस पर अपीलकर्ता संख्या 1 ने थाड़ी (छड़ी) से उसके सिर पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि तीसरे अपीलकर्ता ने कृष्णन के कंधे पर एक और छड़ी से हमला किया था। वह भी गिर गया।



पीडब्लू1- गजेंद्रन, पीडब्लू2- एलुमलाई, पीडब्लू3-परमासिवम और पीडब्लू10- चंद्रन, एक चाय की दुकान के पास बैठे थे। वे घटनास्थल पर गए और दोनों मृत व्यक्तियों को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने कथित तौर पर उन्हें धमकी भी दी। कहा जाता है कि मोहन नाम का व्यक्ति, जो कथित तौर पर अपीलकर्ताओं के साथ आया था, उसने पीडब्ल्यू 1 पर छड़ी से हमला किया था। कहा जाता है कि अपीलकर्ता नंबर 3 ने पीडब्लू 3 की पीठ पर चाकू मारा था और जब पीडब्लू 2 उसके पास आया, तो उसके दाहिने हाथ की उंगलियों पर चोट लग गई। अभियुक्त संख्या 4, जो हमारे सामने अपीलकर्ता नहीं है, के बारे में कहा जाता है कि उसने पीडब्लू 10 के सिर पर चोट पहुंचाई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पत्थरों और लाठियों से हमला करने के बाद अपीलकर्ता कथित तौर पर घटनास्थल से भाग गए।

निर्विवाद रूप से, सभी अपीलकर्ता भी घायल हुए थे। वे अस्पताल गए और उनकी चोटों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें इनडोर रोगियों के रूप में भर्ती किया गया। अस्पताल के रजिस्टर से पता चलता है कि उन्हें लगभग 4.00 बजे शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुर्घटना रजिस्टर में उनके व्यक्तियों की चोटों की प्रकृति चाकू और बोटल से लगी बताई गई थी। अपीलकर्ताओं के शरीर पर चोटें उपस्थित डॉक्टरों द्वारा इस प्रकार पाई गईं:

"अपीलकर्ता संख्या 1:

1) चाकू का घाव मांसपेशियों तक 3 x 2 सेमी तक फैला हुआ।  
बायीं जांघ के ऊपर।

2) चाकू का घाव मांसपेशियों तक फैला हुआ और (एनसी) 5 x 6  
सेमी. बायीं अगली भुजा के ऊपर

3) ललाट क्षेत्र के ऊपर खोपड़ी पर 6 x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

अपीलकर्ता संख्या 2:

1) गहरा कटा हुआ घाव 5 x 6 सेमी. बाएं घुटने के जोड़ के ऊपर।

2) खोपड़ी पर बायीं ओर पार्श्विका क्षेत्र 4 x 5 सेमी पर कटा हुआ  
घाव।

अपीलकर्ता संख्या 3:

1) अग्र पार्श्विका क्षेत्र पर कटी हुई खोपड़ी 7 x 1 सेमी।"

मृतक के साथ अभियोजन पक्ष के गवाह भी अस्पताल आए। उक्त राजेंद्रन भी  
शाम 7.00 बजे अस्पताल आया। लगभग 8.00 बजे पीडब्लू 1 द्वारा एक विस्तृत  
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने पक्षों के बीच विवाद के बारे में इतिहास  
बताया जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में देखा गया था। उन्होंने घटना के बारे में विस्तार  
से बताया।

हालाँकि, अपीलकर्ताओं को अस्पताल में इनडोर मरीज़ों के रूप में भर्ती कराया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि उनके द्वारा कथित तौर पर दो व्यक्तियों, शनमुगम और कृष्णन को मौत के घाट उतार दिया गया था, उन्हें केवल 26 जुलाई, 1990 को गिरफ्तार किया गया था।

यहां अपीलकर्ताओं पर, तीन अन्य लोगों के साथ, भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में संहिता) की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147, 148, 324, 302 और 307 के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। अपीलकर्ताओं ने खुद को दोषी न मानते हुए आत्मरक्षा की गुहार भी लगाई।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस तरह से घटना घटी, उसे देखते हुए उन्हें हमलावर नहीं माना जा सकता। किसी भी स्थिति में, चूँकि उनका मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था और इस तरह, उन्हें संहिता की धारा 302/149 के तहत अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक अपीलकर्ता संख्या 3 का सवाल है, दिया गया तर्क यह था कि दोषसिद्धि के फैसले को बनाए रखने के लिए कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को उन सभी अपराधों के लिए दोषी पाया, जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 को प्रथम मृतक की मृत्यु के लिए संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें

आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 को भी दूसरे मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें समान सजा दी गई। आरोपी संख्या 1, आरोपी संख्या 3, आरोपी संख्या 5 और आरोपी संख्या 6 को संहिता की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया गया, जबकि आरोपी संख्या 2 और आरोपी संख्या 3 दोनों को संहिता की धारा 147 और 148 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त संख्या 3 से 6 को भी प्रथम मृतक की मृत्यु के लिए संहिता की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि अभियुक्त संख्या 2, 4, 5 और 6 को दूसरे मृतक के मृत्यु का कारण माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा सभी आरोपियों को संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अपील पर उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 5 और 6 को सभी आरोपों से बरी करने का फैसला देते हुए, आरोपी संख्या 4 को केवल संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया। यहां अपीलकर्ताओं एवं साथ ही आरोपी संख्या 5 और 6 को संहिता की धारा 324 के आरोप से बरी कर दिया गया। उन्हें संहिता की धारा 147, 148 और 302 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध करने से भी बरी कर दिया

गया। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने संहिता की धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत अपराध किया है, राय दी:

"इसलिए, आरोपी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराए जाने के पात्र हैं। तदनुसार, प्रथम मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए भा.द.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए ए 1 और ए 2 पर लगाई गई सजा की पुष्टि की जाती है।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

"सारांश में:

- i) भा.द.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए ए 1 (दो मामलों में) ए 2 और ए 3 पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है;
- ii) भा.द.सं. की धारा 324 के तहत ए 4 पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है;
- iii) भा.द.सं. की धारा 147,148 और 302 सपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए ए 1 से ए 6 पर लगाई गई दोषसिद्धि और

सजा को रद्द कर दिया गया है और उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया है;

iv) भा.द.सं. की धारा 324 के तहत अपराध के लिए ए 1 से ए 3, ए 5 और ए 6 पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया जाता है।”

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. सुंदरवरदान ने हमें मुख्य अभियोजन गवाहों के बयानों से अवगत कराया और तर्क दिया:

1) रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट राजेंद्रन के कहने पर दर्ज की गई थी, जिसकी ज्ञात कारणों से अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं करवाया गया।

2) हालाँकि, पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 9 और पीडब्ल्यू 10 को घायल गवाह बताया गया है, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ताओं को उनके शरीर पर चाकू से चोटें कैसे लगीं;

3) अपीलकर्ता संख्या 3 के खिलाफ लगाए गए आरोप चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

(ए) उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संहिता की धारा 149 के तहत कोई मामला नहीं बनता है, उसने गलत तरीके से धारा 34 के प्रावधानों को लागू किया।

(बी) यदि अपीलकर्ता, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के मद्देनजर, व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी थे, तो संहिता की धारा 34 को लागू नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए:

(i) अपीलकर्ताओं में से कोई भी सशस्त्र नहीं था।

(ii) उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभियोजन पक्ष के गवाह सशस्त्र थे या नहीं।

(iii) अपीलकर्ता संख्या 2 ने अचानक पीडब्लू 4 की दुकान से नींबू काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा चाकू उठाया और प्रथम मृतक को चाकू मारकर घायल कर दिया और इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि कोई सामान्य इरादा था अपीलकर्ताओं की ओर से हत्या का अपराध करने के लिए।

(4) अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि घटना किस प्रकार घटित हुई। निचले अदालत या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से उठाई गई आत्मरक्षा के अधिकार की दलील पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया।

(5) अदालतों ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों और मृतक के खिलाफ एक निजी शिकायत दायर की गई थी।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुब्रमण्यम प्रसाद का कहना था कि मृतकों के शवों पर लगी चोटों को देखने से यह प्रतीत होता है कि उन्हें लगी चोटों की प्रकृति मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। इस संबंध में, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि प्रथम मृतक को 11 चोटें आईं, दूसरे मृतक को भी कई चोटें आईं, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं के कारण हुई थीं।

बेशक, एक घटना घटी जिसमें एक तरफ से दो व्यक्तियों और दूसरी तरफ से चार व्यक्तियों को चोटें आईं। अपीलकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि उनके शरीर पर चोटें आई हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटें आई हैं। घटनाओं की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को देख सकते हैं।

पीडब्लू 1 मुखबिर है। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस जमीन पर अपीलकर्ता अपना ईंट-भट्टा चला रहे थे, उस पर उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में विवाद के मद्देनजर, शंकर द्वारा उन पर हमला किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे लगभग साढ़े चार बजे अस्पताल पहुंचे और उस समय दूसरा मृतक कृष्णन



जीवित था और उस समय अपीलकर्ता पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे। उस दिन पुलिस अस्पताल नहीं आई। वह पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उसने अपनी चोटों का इलाज कराना उचित नहीं समझा। हालाँकि, जब वह पुलिस स्टेशन गया तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उसे सब-इंस्पेक्टर द्वारा अस्पताल नहीं भेजा गया, जबकि उसकी चोटों को उसने देख लिया था। उनके मुताबिक, एफआईआर दर्ज कराते समय उन्होंने पुलिस के सामने बहुत संक्षिप्त बयान दिया था। उन्होंने केवल यह कहा था कि दो जिंदगियां खतरे में हैं और शनमुगम मर चुके हैं, जिसे उन्होंने नोट कर लिया और उनके हस्ताक्षर ले लिए। उनके मुताबिक उन्होंने इतना ही बताया। अगले दिन जब जांच अधिकारी ने उनसे पूछताछ की तो उनका बयान केवल वहीं तक सीमित था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं कही है, हालाँकि, उनके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन टाइप किए गए पृष्ठों में है। न केवल घटना का पूरी तरह से वर्णन किया गया है, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रत्येक अपीलकर्ता के साथ-साथ आरोपी संख्या 4 के प्रत्यक्ष कृत्यों का भी विस्तार से खुलासा करती है, जैसे कि उसने पूरी घटना को बहुत बारीकी से देखा हो। अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि दूसरे मृतक कृष्णन पर अपीलकर्ता संख्या 3 ने उसके कंधे पर दो बार हमला किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्रन अपीलकर्ताओं द्वारा संचालित ईट-भट्टे में हिस्सेदारी की मांग

कर रहे थे। हालाँकि, उन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए आत्मरक्षा की दलील से संबंधित सुझावों से इनकार किया।

पीडब्लू 2 भी एक घायल गवाह है। अपने बयान में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मृतकों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और उनके पास भी नहीं गए। उनके मुताबिक, 'जिस वक्त झड़प हुई, अभियोजन पक्ष के गवाह बस स्टैंड के पास सीमेंटेड बेंच पर बैठे थे।' उनके अनुसार, जिस चाकू से अपीलकर्ता नंबर 2 ने पहले मृतक को चोट पहुंचाई थी, उससे प्याज या नींबू काटा जा सकता था। बताया जाता है कि चाकू में एक हैंडल था, लेकिन जिसकी उसने पहचान की, उसमें हैंडल नहीं था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए अपने बयानों में उन्होंने कहा था कि अपीलकर्ता लाठियों से लैस थे। हालाँकि, वह लाठियों की प्रकृति के बारे में नहीं बता सके। जांच अधिकारी के समक्ष उन्होंने बयान दिया कि दोनों मृतकों को लकड़ी के लट्टों से पीटा गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि यहां अपीलकर्ताओं को छोड़कर अन्य आरोपियों ने कुछ नहीं किया। उनके अनुसार, अगले दिन सुबह तक जब उन्होंने जांच अधिकारी को प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में सूचित किया, तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। यह भी पता नहीं चल सका कि किसी अन्य व्यक्ति को चोट तो नहीं आई।

पीडब्लू 3 ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को पुलिस नहीं आई। उन्होंने यह नहीं बताया कि अपीलकर्ताओं को चोटें कैसे आईं। पीडब्लू 9 सरोजा, पीडब्लू 3 की

पत्नी है। उनके मुताबिक काफी देर तक झगड़ा चलता रहा, उन्होंने कहा कि पंचायत की बैठक में अपीलकर्ताओं की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए ढोल बजाकर घोषणा की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब अपीलकर्ता आये तो उनके पास कोई हथियार नहीं था। उसने स्वीकार किया कि झगड़ा शुरू होने के बाद ही अपीलकर्ता नंबर 2 को चाकू मिला। वह यह नहीं बता सकी कि इस झगड़े में उनके पति शामिल थे या नहीं और उनके मुताबिक, वह ही अपने पति को अस्पताल लेकर गयी थीं। माना कि घटना या उसके पति को लगी चाकू की चोट के संबंध में उसने गांव में पुलिस आने तक किसी अन्य व्यक्ति को सूचित नहीं किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी भी घायल हुए थे और उन्होंने उन पर पत्थर फेंकने में भी हिस्सा लिया था। उसने आरोप लगाया कि उसे भी चोटें आईं, हालांकि जांच अधिकारी के सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्रन अंधेरा होने के बाद लगभग 7.00 पीएम बजे अस्पताल आए। उन्होंने अपीलकर्ताओं की संबंधित पत्नियों को अस्पताल में मौजूद पाया।

पीडब्लू 10 को एक और चश्मदीद गवाह कहा जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ताओं पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया था। उन्होंने अपीलकर्ताओं पर हमला करने में भी भाग लिया। घटना के चार-पांच दिन बाद जांच अधिकारी ने उनका बयान दर्ज किया था, उनके मुताबिक सभी लोगों पर अलग-अलग हमला किया गया, एक साथ नहीं। इस गवाह के अनुसार हमले दोनों तरफ से थे और

वास्तविक पिटाई नहीं देखी जा सकी। उनके अनुसार, वह आखिरी व्यक्ति थे जिन पर हमला किया गया था।

इसलिए, घटना की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। माना कि यह घटना घटित हुई, लेकिन इस प्रकार प्रारंभिक हमलावर कौन थे या तो अभियोजन पक्ष के गवाह या अपीलकर्ता, यह कहना मुश्किल है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष दंगे का आरोप साबित नहीं कर पाया। अपीलकर्ताओं और अन्य के पास अभियोजन पक्ष के गवाहों के अभियुक्त की मृत्यु का कारण बनने का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। हमने इससे पहले अपीलकर्ताओं के शरीर पर लगी चोटों की प्रकृति पर गौर किया है। पहले अपीलकर्ता को दो चाकू के घाव मिले और ललाट क्षेत्र में खोपड़ी पर भी एक चीरा हुआ घाव लगा। अपीलकर्ता नंबर 2 को सिर के बाईं ओर पार्श्विका क्षेत्र पर गहरा घाव और एक कटा हुआ घाव मिला। अपीलकर्ता नंबर 3 को भी ललाट पार्श्विका क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव मिला। इस बात से इनकार और विवाद नहीं है कि वे कुछ दिनों तक इनडोर मरीज़ के रूप में अस्पताल में थे। हमने यहां पहले भी देखा है कि उन्हें कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था।

उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने दो व्यक्तियों की हत्या का सामान्य इरादा बनाया था।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 34 को लागू करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है। एक बार जब यह माना गया कि अपीलकर्ताओं को केवल उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, तो हमारी राय में, प्रश्न को अलग तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के शरीर पर लगी चोटों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी गलत ठहराया कि इसके संबंध में सबूत का भार अपीलकर्ताओं पर था, जिसमें कहा गया था:

"सवाल यह है कि क्या वे चोटें कट्टई, थाडी और उन सभी के कारण हो सकती हैं जैसा कि गवाहों ने बताया है। प्रदर्श पी 7, पी 8 और पी 9 दिखाएंगे कि ए 1 से ए 3 पर चाकू और बोतलों से हमला किया गया था। जब ये आरोपी व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर के समक्ष दिए गए बयान थे जैसा कि प्रदर्श पी 7, पी 8 और पी 9 में उल्लिखित है, तो बचाव पक्ष द्वारा पीडब्लू 5, जिस डॉक्टर ने उनकी जांच की थी, से यह जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि ए 1 से ए 3 पर जो चोटें पाई गईं का कारण थाडी और कट्टई नहीं हो सकते थे। गवाहों में से एक ने इसे अभियुक्त पर फेंक दिया। ऐसी परिस्थितियों में, चोटों की प्रकृति इस्तेमाल किए गए हथियार के आकार पर निर्भर हो सकती है। यह दिखाने के लिए किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव

में कि ये चोटें थड़ी और पत्थर से नहीं लगी होंगी, हम चोटों के चश्मदीद गवाहों के सबूतों को खारिज नहीं कर सकते हैं कि ये चोटें थड़ी और पत्थर से उन्हें बाहर निकालने के कारण लगी थीं।"

हालांकि उच्च न्यायालय ने देखा कि अभियुक्तों को लगी चोटें उनके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं, लेकिन रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों पर चर्चा किए बिना, यह माना गया कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय उन्हें चोटें नहीं आईं। यह सच है कि प्रत्येक मामले में, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों को साबित करना अभियोजन पक्ष का काम नहीं है, लेकिन इस प्रकृति के मामले में आत्मरक्षा के अधिकार की दलील उठाई गई हो तो गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। यह उस संदर्भ में है कि आरोपी व्यक्तियों के मन में मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका का निर्धारण उन पर हमला करने के लिए इकट्ठे हुए लोगों की संख्या, उन पर हमला करने के तरीके, हथियारों व उनके द्वारा प्राप्त चोटों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी व्यक्ति को मौत या शारीरिक चोट की आशंका हो तो उसे पल भर में और परिस्थितियों की गर्मी में, हथियारों से लैस हमलावरों को निहत्था करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या को सुनहरे तराजू में नहीं तौला जा सकता है।

बिश्रा उर्फ भिस्वदेब महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 9

स्केल 204 इस न्यायालय ने माना कि:

"...उत्तेजना और अशांत संतुलन के क्षणों में यह उम्मीद करना अक्सर मुश्किल होता है कि पक्ष संयम बनाए रखेंगे और जवाबी कार्रवाई में केवल उतने ही बल का प्रयोग करेंगे, जितना उसे होने वाले खतरे के अनुरूप हो, जहां बल के प्रयोग से हमला आसन्न हो। सभी परिस्थितियों को व्यावहारिकता के साथ देखने की आवश्यकता है और किसी भी अतिव्यवहार की दृष्टिकोण से बचना चाहिए।"

प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होगी, यह निम्नलिखित शब्दों में बताया गया था:

"गैरकानूनी बल को रोकने के लिए, गैरकानूनी हिरासत से बचने के लिए और ऐसी नज़रबंदी से बचने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग किया जा सकता है। जहां तक अतिचारी के खिलाफ भूमि की रक्षा का सवाल है, एक व्यक्ति अतिचार को रोकने या अतिचारी को बेदखल करने के लिए आवश्यक और मध्यम बल का उपयोग करने का हकदार है। उक्त उद्देश्यों के लिए, बल का प्रयोग न्यूनतम आवश्यक या उचित रूप से आवश्यक माना जाना चाहिए। एक उचित बचाव का मतलब आनुपातिक बचाव होगा। आमतौर पर, किसी अतिचारी को पहले वहां से चले जाने के लिए कहा जाएगा और यदि अतिचारी जवाबी कार्रवाई करता है, तो उचित बल का प्रयोग किया जा सकता है।"

हालाँकि, आवास गृह की रक्षा एक अलग स्तर पर है। कानून हमेशा उस व्यक्ति पर विशेष कृपादृष्टि रखता है जो उन लोगों के खिलाफ अपने आवास की रक्षा कर रहा

है, जो उसे गैरकानूनी तरीके से बेदखल कर देंगे; जहाँ तक "हर एक का घर उसके लिये उसके महल और गढ़ के समान है।

यह राय थी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा और अपराध की रोकथाम कभी-कभी अप्रभेद्य होती है। यह माना गया कि इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि किसी अपराध को रोकने के लिए अजनबियों के बीच एक सामान्य स्वतंत्रता है।

जलाराम बनाम राजस्थान राज्य (2005) 9 स्केल 505, में इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि अपीलकर्ता ने कृषि भूमि से बेदखली की थी और इसके अलावा अपीलकर्ता द्वारा मृतक के माथे पर केवल एक वार किया गया था, अपीलकर्ता ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करना स्वीकार किया, लेकिन उनकी राय थी कि उन्होंने उक्त अधिकार को सीमा से अधिक प्रयोग कर लिया है:

"सोनाराम की कृषि भूमि पर रास्ते का अधिकार स्थापित नहीं किया गया है। यदि सुख सुविधा या अन्यथा रास्ते का कोई स्थापित अधिकार नहीं था और यदि अभियुक्तों के मन में यह आशंका थी कि उनकी भूमि में अतिक्रमण का खतरा था, तो वे निर्विवाद रूप से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों की ओर से ऐसी आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।



हमने यहां पहले देखा है कि अपीलकर्ता द्वारा यहां केवल एक ही वार मृतक के माथे पर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना की उत्पत्ति का भी अभियोजन पक्ष द्वारा खुलासा नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि यहां अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति पहले से ही मृतक या सूचना देने वाले के खिलाफ कोई शिकायत रखते थे या उनका उपरोक्त अपराध करने का कोई मकसद था। अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों की ओर से घटना स्थल के पास खुद को छिपाने और अपराध करने का कोई मकसद स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के मामले के उस हिस्से को स्वीकार करना कठिन है।

सोनाराम व किसना राम को भी एक-एक चोट आई है। यह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है कि चोटों की प्रकृति सामान्य थी, लेकिन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य था कि उन्हें चोटें कैसे लगीं। वही यह भी सच है कि सभी स्थितियों में आरोपी व्यक्तियों को मिली चोटों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने पर एक अलग स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए इस

अदालत के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी है कि यह अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति थे, जो हमलावर थे। यदि वे हमलावर नहीं थे, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील उनके लिए उपलब्ध थी। इस प्रकार, सोनाराम और किसना राम के शरीर पर लगी चोटों का स्पष्टीकरण न दिया जाना महत्व रखता है। अभियुक्त व्यक्तियों की चोटों के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार के प्रयोग के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बचाव की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।"

इस प्रकार, मामला अन्यथा हो सकता था यदि अभियोजन यह साबित कर सकता था कि अपीलकर्ताओं ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। हमारी राय में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग संपूर्ण तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष के गवाह एक समूह के थे। वे गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति, पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्रन का समर्थन कर रहे थे। उद्देश्य और प्रति उद्देश्य थे। अपीलकर्ताओं पर मंदिर की संपत्ति की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। बताया गया कि वे अनाधिकृत रूप से ईंट-भट्टा चला रहे थे। पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष इसमें हिस्सा चाहते थे। उन्होंने न केवल इस बात का ध्यान रखा कि अपीलकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए, जाहिर तौर पर हिसाब-किताब प्रस्तुत न करने के लिए

अपीलकर्ता संख्या 1 को फटकार लगाने के लिए पंचायत की बैठक भी बुलाई गई थी। ढोल बजाकर उन्हें बुलाया गया। हो सकता है कि अपीलकर्ताओं ने ही झगड़ा शुरू किया हो। पहले अपीलकर्ता ने राजेंद्रन के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस तथ्य के बावजूद कि चाय की दुकान के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अपीलकर्ता एक के बाद एक दो व्यक्तियों की हत्या कर देंगे, बिना किसी चोट या उनके जीवन या शारीरिक चोट के खतरे के बिना या उनमें से किसी के द्वारा या किसी भी तरीके से उकसाया गया हो। यह तथ्य कि वे हथियारबंद नहीं थे, विवादित नहीं है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि वे अपने साथ लाठियां लेकर जा रहे थे। यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने अचानक पीडब्लू 4 की दुकान से एक छोटा चाकू उठाया। कोर्ट में चाकू की पहचान नहीं हो पाई है। अपीलकर्ता संख्या 3 के खिलाफ लगाया गया आरोप कि उसने दूसरे मृतक पर छड़ी से हमला किया था, चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। बताया जाता है कि प्रथम मृतक को 11 चोटें आई थीं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि केवल अपीलकर्ता संख्या 2 ने ही चोट संख्या 8 कारित की, जो घातक थी। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को कठोर और कुंद वस्तु से दो चोटें लगी हैं। किसी भी अपीलकर्ता को उक्त प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। डॉक्टर की राय के अनुसार अन्य आठ चोटें गिरने के कारण लगी होंगी। दूसरे मृतक के शरीर पर केवल एक चोट पाई गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि

अपीलकर्ता संख्या 1 ने उसे बांस की छड़ी से मारा था, जबकि अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 3 ने भी मृतक के शरीर पर वार किया था।

अपीलकर्ताओं के पास ऐसी बांस की छड़ें कैसे और किस तरीके से आईं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। सभी अपीलकर्ताओं को कम से कम तीन-तीन चोटें आई हैं।

जबकि कहा जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने प्रथम मृतक के पेट में चाकू से केवल एक चोट पहुंचाई थी, अन्य सभी चोटें कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई थीं, जबकि अपीलकर्ता को चाकू और बोटलों से चोटें लगी थीं।

जांच अधिकारी ने यह नहीं बताया कि अपीलकर्ताओं को घटना की तारीख पर ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि वे अस्पताल में भर्ती थे। आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उनके द्वारा उठाए गए बचाव को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपीलकर्ताओं के शरीर पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देना अनिवार्य था। बिश्ना उर्फ भिस्वदेब महतो एवं अन्य (सुप्रा) इस न्यायालय ने कहा:

"अभियुक्तों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफलता के संबंध में तथ्य अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होते हैं। जबकि अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना बचाव पक्ष के संस्करण की संभावना को दर्शाता है कि अभियोजन

पक्ष ने पहले हमला किया था, किसी भी स्थिति में यह मानना भी संभव हो सकता है कि अभियुक्त द्वारा अपनी चोट के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह इसे पूरी तरह से समझाते हैं और इस प्रकार, यह मानना संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया था जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। जहां दोनों पक्षों को चोटें लगी हों और जब दोनों पक्षों ने घटना की उत्पत्ति को दबाया हो या जहां आंशिक सच्चाई सामने आ रही हो, अभियोजन विफल हो सकता है। लेकिन, सामान्य शब्दों में कोई भी कानून इस आशय का नहीं बनाया जा सकता है कि प्रत्येक मामला जहां अभियोजन पक्ष आरोपी के शरीर पर लगी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है, उसे बिना किसी आगे की जांच के खारिज कर दिया जाना चाहिए। [सी बांके लाल और अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य ए आई आर (1971) एस सी 2233 और मोहर राय बनाम बिहार राज्य ए आई आर (1968) एस सी 1281}

हालाँकि, उस मामले में, चोटों को स्पष्ट करना आवश्यक नहीं माना गया, क्योंकि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया था। मौजूदा मामले में, अभियोजन सभी उचित संदेह से परे यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि अपीलकर्ता हमलावार थे। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का कोई सामान्य इरादा भी स्थापित नहीं कर सका है। मुन्ना चंदा बनाम असम राज्य रिपोर्टेड (2006) ए आई आर एस सी डब्ल्यू 0158: जे टी (2006) 3 एस सी 366, इस न्यायालय ने:

इस प्रकार, यह साबित करना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर धारा 149 की सहायता से अपराध का आरोप लगाया जाना है, वह अपराध के समय गैरकानूनी सभा का सदस्य था।

यहां अपीलकर्ता हथियारों से लैस नहीं थे। भुट्टू को छोड़कर वे विवाद के तीनों चरणों में पक्षकार नहीं थे। झगड़े के तीसरे चरण में वे मृतक और अन्य लोगों को सबक सिखाना चाहते थे। भुट्टू से झगड़ा करने के कारण वे लोग उत्तेजित हो गये होंगे और मोती से माफी मांगने को कहा होगा। माना जाता है कि ऐसा निर्मल के कहने पर किया गया था, रतन के कहने पर भुट्टू ने मोती पर हमला किया था। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मृतक की जानबूझकर हत्या करने का सामान्य उद्देश्य था। हालाँकि, मारपीट के दौरान मोती खुद को अपीलकर्ताओं की पकड़ से मुक्त कर सका और घटनास्थल से भाग गया। मृतक का न केवल अपीलकर्ताओं द्वारा बल्कि कई अन्य लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था। अगली सुबह वह मृत पाया गया। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने संयुक्त रूप से या अलग-अलग क्या भूमिका निभाई। यह भी ज्ञात नहीं है कि आखिरी चोट दिए जाने के समय यदि एक या सभी अपीलकर्ता उपस्थित थे। वे कौन हैं, जिन्होंने मृतक के साथ मारपीट की, इसका भी पता नहीं चल पाया है। उसे किसके हाथों चोटें लगीं यह फिर से एक रहस्य है। इसलिए, न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और न ही धारा 149 लागू होती

है। [धर्म पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य रिपोर्टेड (1978) 4 एस सी सी 440 और शंभु कुवेर बनाम बिहार राज्य रिपोर्टेड ए आई आर (1982) एस सी 1228}

हालाँकि, हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि बिश्ना उर्फ भिस्वदेब महतो और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य रिपोर्टेड जे टी (2005) 9 एस सी 290, यह कहा गया था:

"धारा 149 और/या 34 भा.द.सं. को आकर्षित करने के उद्देश्य से, अभियुक्त की ओर से एक विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक नहीं है। वह प्रतीक्षा कर सकता है और किसी अभियुक्त की ओर से निष्क्रियता देख सकता है; शायद कुछ समय के लिए यह मान लिया जाए कि उसने दूसरों के साथ एक समान वस्तु साझा की है।"

परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने घटना के एक हिस्से को दबाने के सभी प्रयास किए थे। इस प्रकार घटना की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई है। इस प्रकार रिकॉर्ड पर लाई गई परिस्थितियों की समग्रता अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा नहीं करती है। इसलिए वे बरी होने के हकदार हैं।

उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द किया जाता है। उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित न हो।

बी एस

अपील स्वीकार



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी उत्तमा माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।